बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–01–33/2023(स्वा0) ..../पटना, दिनांक ....

डॉ0 कामेश्वर नाथ तिवारी, तत्कालीन सिविल सर्जन, रोहतास के विरूद्ध श्री रामरूप सिंह, पूर्व महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल, रोहतास द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0–1537(6) दिनाक–04.10.2023 के अनुदेश के अवहेलना करते हुए स्थानातरित ए0एन0एम0 को 72 घण्टो में पदस्थापित नही करने, उनके द्वारा स्थानातरित ए0एन0एम0 से पदस्थापन हेतु विकल्प की मॉग करने एवं 15 दिनो के उपरान्त विकल्प के अनुसार पदस्थापित करने के आरोप मे परिवाद समर्पित किया गया है।

2. विभागीय पत्राक–1099(9) दिनांक–05.11.2024 द्वारा क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना से प्रतिवेदन की मॉग की गयी। क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्राक–22 दिनाक–14.01.2025 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी।

3. डॉ0 तिवारी से विभागीय पत्रांक–898(9) दिनांक–01.08.2025 द्वारा स्थानांतरित 30 (तीस) ए0एन0एम0 को पदस्थापित करने में 15 दिन विलंब करने के आरोप मे स्पष्टीकरण की मॉग की गयी।

4. डॉ0 तिवारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अकित किया गया है कि स्थानातरित ए0एन0एम0 द्वारा निर्धारित समावधि मे योगदान समर्पित नही किया गया था। स्थानातरित ए0एन0एम0 से पदस्थापन हेतु तीन विकल्प की मॉग की गयी थी, ताकि वे पारिवारिक जीवन के निर्वहन के साथ–साथ दैनिक कार्यो का भी सम्पादन कर सके। सिविल सर्जन, रोहतास के पत्रांक–3081 दिनांक–19.10.2023 द्वारा स्थानातरित ए0एन0एम0 को पदस्थापित कर दिया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मगध प्रमण्डल, गया से प्राप्त प्रतिवेदन एवं डा0 तिवारी से प्राप्त प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षोपरान्त डा0 तिवारी के प्रत्युत्तर को स्वीकार करते हुए आरोप को संचिकास्त करने का विनिश्चय किया गया।

6. अतएव डा0 कामेश्वर नाथ तिवारी, तत्कालीन सिविल सर्जन, रोहतास के विरूद्ध विलंब से ए०एन०एम० को पदस्थापित करने संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–9/आ0–01–33/2023(स्वा0)...401(9)...**/पटना, दिनांक**...13.04.26...

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–डा0 कामेश्वर नाथ तिवारी, तत्कालीन सिविल सर्जन, रोहतास सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र
13/04/2026
सरकार के अवर सचिव।